न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 237/2018

1. सुमित्रा पुत्री श्री मनफुलसिंह पत्नि श्री महेन्द्रकुमार गोदारा जाति बिश्नोई निवासी 23 थर्ड ब्लाक पुरानी आबादी श्रीगंगानगर।
2. सुमन पुत्री श्री मनफुलसिंह पत्नि श्री राजेन्द्र कुमार जाति बिश्नोई निवासी गांव दुलपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. सुदेश पुत्री श्रीमनफुलसिंह पत्नि श्री विश्वामित्र जाति बिश्नोई निवासी रामपुरा बिश्नोईयान तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत रास्ता

– :: निर्णय ::– दिनांक :– 12.06.2018

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की भूमि वाके चक 12 एल.एन.पी. (स्यागावाली) तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 28/25 के मुरब्बा नम्बर 14, 15, 17, 36 में कुल 11.385 हैक्टर नहरी रकबा है।

प्रार्थी संख्या 1 के पास घरेलु बंटवारा में मुरब्बा नम्बर 14 में किला नम्बर 1 ता 19 प्रत्येक सालम 20 में 0.089 हैक्टर (7 बिस्वा) व किला नम्बर 25 सालम है एवम् प्रार्थी संख्या 2 सुमन व प्रार्थी संख्या 3 सुदेश के पास मुरब्बा नम्बर 14 में किला नम्बर 21 ता 24 सालम व किला नम्बर 20 में 13 बिस्वा है तथा प्रार्थी संख्या 2 व 3 के पास मुरब्बा नम्बर 15 का किला नम्बर 19, 20, 21, 22, 23 है उक्त रकबा का प्रार्थीगण नें घरेलु बंटवारा अनुसार बंटवारा कर लिया है और इसी अनुसार काबिज व दाखिल हो गये है जिसे प्रार्थना पत्र की आगामी चरणों में प्रार्थी की भूमि से सम्बोधित किया जावेगा। जमाबन्दी की सत्यप्रति संलग्न आवेदन पत्र है।

मुरब्बा नम्बर 14 के नीचे मुरब्बा नम्बर 25 पड़ता है मुरब्बा नम्बर 25 में सरकारी खाला के साथ साथ आम रास्ता मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 में चालू है जो कि मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 25 के साथ आकर लगता है तथा आगे मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 25, 16, 15, 6, 5 में से होते हुए जो आगे मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 25 में जाता है व मुरब्बा नम्बर 15 में मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 25 में जाता है व किला नम्बर 25 का कोना काटते हुए मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 21 में उक्त चालू है व मुरब्बा नम्बर 17 में यही रास्ता बाई तरफ (पश्चिम) की और 4 व 5 में 1/2 बीघा तक 2–2 बिस्वा आम रास्ता मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 21, 22, 23 में जानें के लिये तीनों खातेदारों की सहमति से अरसा दराज से चला आ रहा है। यह रास्ता के सम्बंध में कोई भी विवाद पक्षकारान के मध्य नहीं है तथा ना ही भविष्य में विवाद ना हो इसलिये रास्ता स्वीकृत करवाना चाहती है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की कृषि भूमि चक 12 एल.एन.पी. (स्यागावाली) तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 25, 16, 15, 6, 5, 4, 3 में 1/2 में से 2–2 बिस्वा रास्ता व मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 25 कोना काटते हुए 20X25 फुट लम्बा रास्ता मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 21 में जानें के लिये रास्ता स्वीकृत करनें की कृपा करें। व उक्त रास्ते की भूमि प्रार्थीयान की भूमि से सभी की बराबर कम की जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया पटवारी हल्का तथा भू. अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट को तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा न्यायालय को भिजवाया गया है। जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि मौका पर उक्त रकबा पर घरेलु रास्ता चल रहा है। उक्त रकबा रिकार्ड में कृषि भूमि दर्ज है प्रार्थीयान उक्त रकबा जो कि रास्ते में प्रयोग हो रहा है को राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है मौका पर किसी प्रकार का कोई विवाद व किसी न्यायालय को कोई स्थगन आदि नहीं है।

प्रार्थीयान द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थना पत्र के साथ ही चाहे गये रास्ते की भूमि के सम्बंध में रास्ता स्वीकृत करनें हेतु समर्पणनामा भी प्रस्तुत किया गया है, प्रार्थीयान को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थीयान जो चक 12 एल.एन.पी. (स्यागावाली) तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 28/25 में सहखातेदारान है जो अपनी आपसी सहमती से लोक अदालत की भावना से अपनी खातेदारी भूमि से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहती है इस कारण प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

– :: आदेश ::–

प्रार्थीयान के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी सहमती के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत चक 12 एल.एन.पी. (स्यागावाली) तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 25, 16, 15, 6, 5, 4, 3 में 1/2 में से 2–2 बिस्वा रास्ता व मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 25 कोना काटते हुए 20X25 फुट लम्बा रास्ता मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 21 में जानें के लिये गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाता है। गैर मुमकिन रास्ता सार्वजजिक उपयोग हेतु रहेगा। उक्त रास्ते की भूमि प्रार्थीयान की भूमि से सभी की बराबर कम की जावे।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता की भूमि राजस्व रिकार्ड में अंकन करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनाक 12.06.2018 को लिखवाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 18 एम.एल. में आयोजित राजस्व लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर